न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– जीतू कुलहरी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 371/2022 दायर दिनाँक 31.08.2022

वादी		प्रतिवादी
1. नाथूराम पुत्र कानाराम जाति हरिजन निवासी मामडोदा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः–

1. श्री हरफूलराव वकील वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 27.03.2023

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादी की एकल खातेदारी का खेत खसरा सं0 1056/985 रकबा 0.0800 हैक्टे0 मौजा बिंचावा, पटवार हल्का बिंचावा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र केराप, तहसील डीडवाना में अवस्थित है।

यह है कि राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाईन करते वक्त वादी के खेत खसरा सं0 1056/985 के राजस्व नक्शे में छेड़छाड़ करते हुए राजस्व नक्शे में वादी का खेत अन्यत्र स्थान पर दर्शित कर दिया जो नजरी नक्शा में मार्क KLMN से दर्शित किया गया है जो कि गलत है। जबकि वादी का मौके पर वास्तविक एवं भौतिक रूप से कब्जा काश्त अन्यत्र स्थान पर है। जिसे नजरी नक्शा में मार्क ABCD से दर्शित किया गया है जो कि सही है। जिस पर वादी काबिज है तथा कृषि कार्य करके अपना व अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। नजरी नक्शा वाद के साथ संलग्न है।

यह है कि वादी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे में दर्शित मार्क ABCD के अनुसार वास्तविक रूप से मौके पर वादी काबिज है परन्तु राजस्व अधिकारियों ने गलत तरीके से उक्त खसरा नम्बर 1056/985 की भूमि का अन्य स्थान मार्क KLMN पर दर्शित कर दिया।

यह है कि वादी अपने खातेदारी सुदा खेत खसरा सं0 1056/985 को नजरी नक्शा में दर्शित मार्क KLMN स्थान से हटाकर मार्क ABCD स्थान पर राजस्व नक्शे में दर्ज करवाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करवाना चाहता है। इसलिए वादी को दावा बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती का करना लजमी आया है।

प्रार्थना वादी इस प्रकार हैः–

यह है कि वादी के वर्तमान खेत खसरा सं0 1056/985 को नजरी नक्शा में दर्शित मार्क KLMN स्थान से हटाकर मार्क ABCD स्थान पर राजस्व नक्शे में कायम कर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किये जाने का सादर आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.01.02 17:08:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार डीडवाना के पत्र क्रमांक/रीडर/2022/2033 दिनांक 15.11.2022 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट के अनुसार खसरा सं0 1056/985 ग्राम बिचिंवा में नजरी नक्शा अनुसार वर्तमान नक्शे में गलत स्थान पर अंकित ख.न. 1056/985 मार्क KLMN की बजाय नक्शे में परिवर्तन कर मौके पर वास्तविक एवं भौतिक रूप से कब्जा काश्त का सही स्थान मार्क ABCD के स्थान पर वर्तमान नक्शे में किया जाना उचित है।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री किया जाता है।

–:: आदेश ::–

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर वादी के सरहद ग्राम बिंचावा के वर्तमान खेत खसरा सं0 1056/985 रकबा 0.0800 हैक्टे0 भूमि का रिकॉर्ड राजस्व नक्शा (तरमीम) तहसीलदार डीडवाना की तथ्यात्मक रिपोर्ट क्रमांक/रीडर/2022/2033 दिनांक 15.11.2022 के साथ संलग्न मौका पर्चानुसार राजस्व नक्शे में कायम कर रिकॉर्ड दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार डीडवाना की तथ्यात्मक रिपोर्ट जरिये पत्र क्रमांक/रीडर/2022/2033 दिनांक 15.11.2022 उक्त निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(जीतू कुल्हरी R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक 27.03.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जीतू कुल्हरी R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.01.02 17:08:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री वमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : पीठासीन अधिकारीः— **जीतू कुलहरी, R.A.S.**
राजस्व वाद संख्याः **371/2022** दायर दिनाँक **31.08.2022**

वादी
1. नाथूराम पुत्र कानाराम जाति हरिजन निवासी मामडोदा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादी
1. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 **L.R. Act.**

दिनाँक **27.03.2023**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हरफूलराव वकील वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर वादी के स्रहद ग्राम बिंचावा के वर्तमान खेत खसरा सं0 1056/985 रकबा 0.0800 हैक्टे0 भूमि का रिकॉर्ड राजस्व नक्शा (तरमीम) तहसीलदार डीडवाना की तथ्यात्मक रिपोर्ट क्रमांक/रीडर/2022/2033 दिनांक 15.11.2022 के साथ संलग्न मौका पर्चानुसार राजस्व नक्शे में कायम कर रिकॉर्ड दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार डीडवाना की तथ्यात्मक रिपोर्ट जरिये पत्र क्रमांक/रीडर/2022/2033 दिनांक 15.11.2022 उक्त निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—............... बाबत.....................—................

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........—......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख **27.03.2023** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बावत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 — —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बावत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो [illegible] चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं [illegible] करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.01.02 17:08:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner